न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– ओमप्रकाश बनाम मौसमी देवी

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 76 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया कि ग्राम मंढा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में भूमि ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 अवस्थित है, जो प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक आधिपत्य की भूमि है। परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीया सं0 1 के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अंकित है। यह कि ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़ की तन में भूमि ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 भूमि भी प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक आधिपत्य की भूमि है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उपरोक्त भूमियों में अपने पूर्वजों के फुट स्टेप पर प्रार्थीगण सं0 1 ता 6 एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र प्रत्येक का 1/72,1/72 प्रार्थीगण सं0 7 ता10 प्रत्येक का 1/216,1/216 प्रार्थीया सं0 10 का 1/18 हिस्से,प्रार्थी सं0 11, 1/9 हिस्से प्रार्थीगण सं0 12 व 13 प्रत्येक का 1/6,1/6 हिस्से, प्रार्थीगण 14 व 15 प्रत्येक का 1/9,1/9 हिस्से तथा प्रार्थी सं0 16 का 1/6 हक हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमियां खसनं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 का मूल ख0नं0 एक ही रहा है, जो ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 राजस्व रिकार्ड में अवस्थित है। आवेदन पत्र की मद सं0 4 में वर्णितानुसार मूल ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 का एक भाग रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरकारी रास्ता की भूमियां ख0नं0 1112 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 1113 रकबा 0.07 है0 की पूर्वी दिशा में अवस्थित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरकारी रास्ते में दर्ज भूमियां ख0नं0 1112 व 1113 का पुराना ख0नं0 502 रकबा 11 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व बने राजस्व रिकार्ड एंव मौका स्थिति के अनुसार सरकारी रास्ते की भूमि नया ख0नं0 1112 व 1113 जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है कि पूर्वी दिशा में रास्ते से लगती हुई भूमि प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 एंव उनके पूर्वजों के खाते, कब्जे, काश्त की भूमि रही है, जिसमें वर्तमान ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व 2328/1114 रकबा 0.15 है0 वाली भूमि भी शामिल है, जो आज भी प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 5 के ही हक आधिपत्य में चली आ रही है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान विभाग द्वारा नया राजस्व रिकार्ड संधारित किया गया, उसमें सरकारी रास्ते की भूमियों ख0नं0 1112 व 1113 की पूर्वी दिशा में मौका व जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। राजस्व रिकार्ड के विपरित जाकर नया ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 वाली भूमि कतई गलत रूप से सरकारी रास्ते ख0नं0 1112 व 1113 जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहे है कि पश्चिमी दिशा में अवस्थित रही भूमियों के सह खातेदारों की खातेदारी में गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित	

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

कर दिया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा तह0 दांतारामगढ़,सीकर के मूल खातेदार नहीं है। उनके नाम इन भूमियों की खातेदारी सरकारी रास्ते की भूमि पुराना ख0नं0 502 के पश्चिमी दिशा में अवस्थित सह खातेदारान के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड अंकित की गई, खातेदारी के आधार पर अवैध हस्तान्तरण प्रलेख एंव उनके आधार पर आपस में किए गए अवैध बंटवारानामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चली आ रही है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारिता के आदेश या हस्तान्तरण प्रलेख बिना प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक, आधिपत्य की भूमि ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 की खातेदारी सरकारी रास्ते के पश्चिमी दिशा वाले सह खातेदारान की खातेदारी में अंकित करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित कर देने मात्र से उनको किसी तरह के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के विधिक अधिकार कतई समाप्त नहीं हो सकते है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भूमिया ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़, सीकर के संबंध में प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 को खतोदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के मुख्य अनुनोष निमित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण ने आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से भूमियों के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने निमित प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है।

हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि ग्राम मंढा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में भूमि ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 अवस्थित है, जो प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक आधिपत्य की भूमि है। परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीया सं0 1 के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अंकित है। यह कि ग्राम मंढा तहसील दांतारामगढ़ की तन में भूमि ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 भूमि भी प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक आधिपत्य की भूमि है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उपरोक्त भूमियों में अपने पूर्वजों के फुट स्टेप पर प्रार्थीगण सं0 1 ता 6 एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र प्रत्येक का 1/72,1/72 प्रार्थीगण सं0 7 ता10 प्रत्येक का 1/216,1/216 प्रार्थीया सं0 10 का 1/18 हिस्से,प्रार्थी सं0 11, 1/9 हिस्से प्रार्थीगण सं0 12 व 13 प्रत्येक का 1/6,1/6 हिस्से, प्रार्थीगण 14 व 15 प्रत्येक का 1/9,1/9 हिस्से तथा प्रार्थी सं0 16 का 1/6 हक हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमियां खसनं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 का मूल ख0नं0 एक ही रहा है, जो ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 राजस्व रिकार्ड में अवस्थित है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान विभाग द्वारा नया राजस्व रिकार्ड संधारित किया गया, उसमें सरकारी रास्ते की भूमियों ख0नं0 1112 व 1113 की पूर्वी दिशा में मौका व जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। राजस्व रिकार्ड के विपरित जाकर नया ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 वाली भूमि को सरकारी रास्ते ख0नं0 1112 व 1113 जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहे है कि पश्चिमी दिशा

k
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

में अवस्थित रही भूमियों के सह खातेदारों की खातेदारी में गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा तह0 दांतारामगढ़,सीकर के मूल खातेदार नहीं है। उनके नाम इन भूमियों की खातेदारी सरकारी रास्ते की भूमि पुराना ख0नं0 502 के पश्चिमी दिशा में अवस्थित सह खातेदारान के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड अंकित की गई, खातेदारी के आधार पर अवैध हस्तान्तरण प्रलेख एंव उनके आधार पर आपस में किए गए अवैध बंटवारानामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चली आ रही है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारिता के आदेश या हस्तान्तरण प्रलेख बिना प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक, आधिपत्य की भूमि ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 की खातेदारी सरकारी रास्ते के पश्चिमी दिशा वाले सह खातेदारान की खातेदारी में अंकित करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित कर देने मात्र से उनको किसी तरह के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के विधिक अधिकार कतई समाप्त नहीं हो सकते है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भूमिया ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़, सीकर के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 को खतोदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के मुख्य अनुनोष निमित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। चूंकि प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर में मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner